



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पीसी-VIII/ 28 / 8623 दिनांक:-31.12.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-379/2018

विषय:-Payment of leave salary to the running staff after the implementation of 7th CPC recommendations.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)II/2017/RS-22 दिनांक 28.12.2018, RBE No. 204/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

रुह नाद

(एम बाबू अब्दुल कादिर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

E/R No. - 379/2018
P/1

RBE No.204/2018

No. E(P&A)II/2017/RS-22

New Delhi, dated 28.12.2018

The General Managers/CAOs,
All Zonal Railways & Production Units.

Sub:- Payment of leave salary to the running staff after the implementation of 7th CPC recommendations.

Some of the Zonal Railways have raised the issue that leave salary is not being paid to the running staff on the revised pay in the 7th CPC pay structure. GS/AIRF and GS/NFIR have also made various references to the Railway Board in this regard. NFIR has also raised the issue in the forum of PNM as Item No. 47/2018.

2. The issue has been examined in Board's office and it is clarified that as per Rule 1412(III) of IREC Vol. II and Rule 924(i)(k) of IREM-I, Pay Element (*presently 30% until further orders*) will be reckoned for calculation of Leave Salary of Running Staff on the revised basic pay in the 7th CPC pay structure.
3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Railway Board.



(N.P. Singh)
Joint Director, Estt. (P&A)
Railway Board

No. E(P&A)II/2017/RS-22

New Delhi, dated: 28.12.2018

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.



For Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)II/2017/RS-22

New Delhi, dated 28.12.2018

Copy to :-

- (1) The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- (3) Director General RDSO Lucknow.
- (4) The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISSET, Secunderabad

379/18
P/2

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई (पी एण्ड ए)II-2017/आरएस-22

आरबीई सं. 204 /2018
नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2018


महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाईयां,

**विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद रनिंग स्टाफ को
छुट्टी वेतन का भुगतान।**

कुछ क्षेत्रीय रेलों ने इस मामले को उठाया है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में संशोधित वेतन के अनुसार रनिंग स्टाफ को छुट्टी वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जीएस/एआईआरएफ और जीएस/एनएफआईआर ने भी इस संबंध में रेलवे बोर्ड को विभिन्न पत्र लिखे हैं। एनएफआईआर ने भी पीएनएम के मंच में मद संख्या 47/2018 के रूप में इस मामले को उठाया है।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआरईसी, वॉल्यूम-II के नियम 1412 (III) और आईआरईएम-I के नियम 924(i)(ट) के अनुसार, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में संशोधित मूल वेतन पर रनिंग स्टाफ के छुट्टी वेतन की गणना के लिए वेतन तत्व (वर्तमान में 30% अगले आदेश तक) को शामिल किया जाएगा।

3. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(एनपी सिंह)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (पी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2018

सं.ई (पी एण्ड ए)II-2017/आरएस-22

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को
अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

जी. प्रिया अय्यर्सनी

कृते वित्त आयुक्त/रेलें